# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

## पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति निशा सहारण(आर.ए.एस.)

## राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 275/2024

बाबा फ्लोरिंग प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय ऑफिस नं. 11, चतुर्थ फ्लोर, अलंकार प्लाजा, सेन्ट्रल स्पाईन विद्याधर नगर, जयपुर जिला जयपुर जरिये अधिकृत निदेशक– श्री गोपाल गोयल पुत्र श्री रामाकिशन गोयल जाति महाजन आयु लगभग 60 वर्ष निवासी ई–6, लक्ष्मीनारायण विहार कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

–प्रार्थी

**बनाम**

1. गंगादेवी पत्नि बिरदीचन्द जाति माली, बालिग, निवासी मालियों की ढ़ाणी, गांधीनगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर
2. केशा पुत्र देवी जाति रावत, बालिग
3. शैतान पुत्र देवी जाति रावत, बालिग सर्व निवासीगण ग्राम रघुनाथपुरा, टिकावड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
4. ओमप्रकाश पुत्र काना जाति कुम्हार, बालिग
5. किशना पुत्र सूजा जाति कुम्हार, बालिग
6. गुमान पुत्र चौथु जाति कुम्हार, बालिग
7. गोपाल पुत्र सुवा जाति कुम्हार, बालिग
8. छोटू पुत्र सूजा जाति कुम्हार, बालिग
9. धनराज पुत्र सोहन जाति कुम्हार, बालिग
10. धनराज पुत्र काना जाति कुम्हार, बालिग
11. नंदू देवी पुत्री प्रभू जाति कुम्हार, बालिग
12. पारसी देवी पत्नि प्रभू जाति कुम्हार, बालिग
13. बजरंग पुत्र चौथू जाति कुम्हार, बालिग
14. बाबू पुत्र चौथू जाति कुम्हार, बालिग
15. मेघा देवी पत्नि सोहन जाति कुम्हार, बालिग
16. मनराज पुत्रीसोहन जाति कुम्हार, बालिग
17. ममता पुत्री काना जाति कुम्हार, बालिग
18. महेंद्र पुत्र प्रभू जाति कुम्हार, बालिग
19. मोपत पुत्र सूजा जाति कुम्हार, बालिग
20. रतना पुत्र चौथ जाति कुम्हार, बालिग
21. राधा पुत्री काना जाति कुम्हार, बालिग
22. शंकर पुत्र सुवा जाति कुम्हार, बालिग
23. शम्भुड़ी देवी पुत्री सोहन जाति कुम्हार, बालिग
24. शिवराज पुत्र प्रभु जाति कुम्हार, बालिग
25. साँवरा पुत्र चौथू जाति कुम्हार, बालिग
26. सीता देवी पत्नि काना जाति कुम्हार, बालिग
27. हंसराज प्रजापत पुत्र सोहन जाति कुम्हार, बालिग
28. हीरा पत्नि सुवा जाति कुम्हार, बालिग

सर्व निवासीगण ग्राम खेड़ा, टिकावड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

29. कैलाश पुत्र नाथूलाल जाति कुम्हार (प्रजापति), बालिग निवासी ग्राम उदयपुर कलां तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
30. काना पुत्र भूरा जाति जाट, बालिग
31. चतरा पुत्र भूरा जाति जाट, बालिग
32. मिश्रीलाल पुत्र भूरा जाति जाट, बालिग
33. रामकरण पुत्र भूरा जाति जाट, बालिग
34. रामचन्द्र पुत्र भूरा जाति जाट, बालिग सर्व निवासीगण ग्राम टिकावड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
35. विमला देवी पत्नि नाथूलाल जाति कुम्हार (प्रजापति), बालिग, निवासी ग्राम उदयपुर कलां तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
36. शिवराज पुत्र भूरा जाति जाट, बालिग
37. साँवरा पुत्र उगमा जाति जाट, बालिग सर्व निवासीगण ग्राम टिकावड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
38. चरागाह ग्राम पंचायत टिकावड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
39. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
40. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सिलोरा तहसील किशगनढ़ जिला अजमेर जरिये शाखा प्रबन्धक
41. सेन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा किशनगढ़ तहसील किशगनढ़ जिला अजमेर जरिये शाखा प्रबन्धक

–अप्रार्थीगण

## निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 12.06.2025

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री भवानी सिंह
वकील अप्रार्थी श्री गणेश प्रजापति

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री भवानी सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। जरिये अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वत्व अधिकार, कब्जे काश्त एवं एकल खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम टिकावड़ा पटवार हल्का टिकावड़ा भू.अभि. नि. क्षेत्र सिलोरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित खसरा संख्या 123 क्षेत्रफल 1.1811 हैक्टेयर हैं। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रार्थी के नाम अधिकार अभिलेख में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में एकल खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी की पैरा संख्या 1 में वर्णित उपरोक्त आराजी के उत्तर दिशा में निजी खातेदार काश्तकार अर्थात अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 38 की एकल व संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। उक्त अप्रार्थी संख्या 1 की निजी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1092/122 क्षेत्रफल 0.8090 हैक्टेयर, उससे लगती हुई अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की निजी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 117 क्षेत्रफल 3.8832 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 28 की निजी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 115 क्षेत्रफल 3.2845 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण संख्या 29 लगायत 37 की निजी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 114 क्षेत्रफल 0.8737 हैक्टेयर, खसरा संख्या 113 क्षेत्रफल 0.6634 हैक्टेयर, खसरा संख्या 112 क्षेत्रफल 0.2589 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी संख्या 38 की भूमि खसरा संख्या 1167/1146 क्षेत्रफल 35.7238 हैक्टेयर है उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

38 की खातेदारी की भूमि की पूर्व दिशा की सींव मेड़ के सहारे होकर दक्षिण से उत्तर की तरफ आगे जाकर रिकोर्डेड रास्ता खसरा संख्या 1145/89 से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थी की कृषि भूमि में पहुंच हेतु निकटतम सरल रास्ता उपलब्ध होना आवश्यक है जो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 38 की कृषि भूमि की पूर्व दिशा की सींव मेड़ के सहारे होते हुए दक्षिण से उत्तर की तरफ उसके आगे रिकोर्डेड रास्ता खसरा संख्या 1145/89 को जोड़ता है। प्रार्थी की कृषि भूमि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित के उत्तर दिशा में लगती हुई अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 37 की खातेदारी की कृषि भूमि है उसके आगे अप्रार्थी संख्या 38 भूमि खसरा संख्या 1167/1146 है तथा उसके आगे रिकोर्डेड रास्ता खसरा संख्या 1145/89 है प्रार्थी अपनी उपरोक्त खातेदारी की कृषि भूमि तक पहुंच के लिए गै.मु.रास्ता खसरा संख्या 1145/89 से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 38 की भूमि खसरा संख्या 1167/1146 में से होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 37 की खातेदारी कृषि भूमि की पूर्व दिशा की सीमा से होकर सींव मेड़ के सहारे सहारे होकर 15 फीट चौड़ा रास्ता मुख्य रिकोर्डेड रास्ता खसरा संख्या 1145/89 तक चाहते है। मुख्य रास्ता खसरा संख्या 1145/89 गै. मु. रास्ते की नक्शा ट्रेस डोल के सहारे सहारे होकर मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग में चला आ रहा है मे तरमीम हो रखी है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 37 की उक्त खातेदारी की भूमि की सींव मेड़ से लगता हुआ व अप्रार्थी संख्या 38 की भूमि में से उक्त रास्ता प्राप्त होने पर प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में रिकोर्डेड रास्ता से होते हुए सरकारी भूमि खसरा संख्या 1167/1146 में से होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 37 की पूर्व दिशा की सींव मेड़ के सहारे होते हुए अपने खेत तक आ जा सकते है जो सुगम, सुलभ, सरलतम, लघुतम, निकटतम रास्ता है तथा इसी रास्ते का प्रार्थी उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 38 की खातेदारी की भूमि की मेड़ सींव में से प्राप्त करने वाले रास्ते को इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित किया गया है। नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र का एक अंग व भाग माना जाकर इसके साथ पढ़ा जावे। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 3 व 4 में वर्णित रास्ते के लिए अतिरिक्त प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी की कृषि भूमि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि पर पहुंच के लिए अन्य कोई मार्ग/रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान औद्योगिक युग में कृषि उपकरणों को लाने ले जाने हेतु कम से कम 15 फीट चौड़ा रास्ता होना आवश्यक है। प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर पहुंच के लिए रास्ता होना विधि अनुसार आवश्यक माना गया है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 3 व 4 में वर्णित रास्ते को आम सहमति करार द्वारा कायम करने हेतु अप्रार्थीगण से मौखिक रूप से निवेदन किया था किन्तु वह उक्त निवदन, सहमति से रास्ता कायम करवाने हेतु मना कर दिया। इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। गांवाई प्रथा अनुसार खेत की सींव-सींव, मेड़-मेड़ काश्तकार आते जाते हैं एवं यह प्रथा आदि अनादि काल से चलती-चलाती आ रही है। प्रार्थी के पूर्वाधिकारी भी इसी अनुक्रम में उपरोक्त प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि पर आवागमन हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 38 की भूमि की पूर्व दिशा की सींव मेड़ के सहारे-सहारे स्वयं की खातेदारी भूमि में प्रवेश करके अपनी खातेदारी की भूमि तक आते-जाते रहे है एवं रास्ते का उपयोग उपभोग करते रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-(क) के तहत किसी भी काश्तकार को अपनी भूमि के आवागमन का रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी पड़ौसी काश्तकारो से रास्ते की मांग कायम करवाने की विधायिका द्वारा अधिकार प्रदत्त किया गया है। उक्त अधिकार अन्तर्गत भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वांछित अनुतोष बाबत् अवधारणीय है। प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में कोई दुर्भावना या दुराशय नहीं है। प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

आवागमन हेतु उपरोक्त पैरा संख्या 3 में वर्णित ही एकमात्र लघुतम, निकटतम, सरलतम सुविधाजनक रास्ता है। उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में तरमीम नहीं होने से प्रार्थी काश्तकार एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 38 उनके काश्तकार के मध्य उपज, बीजाई, कटाई, फसल लाने व ले जाने आदि को लेकर समय–समय पर विवाद होते रहते हैं जिसके कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि की अधिकतम उपज लाभ प्राप्ति नहीं हो पाती है। प्रार्थी उपरोक्त पैरा संख्या 3 में वर्णित रास्ते के बाबत् माननीय न्यायालय जिस प्रकार भी आदेश पारित करना उचित समझती है उक्त समस्त आदेश की पालना हेतु प्रार्थी इच्छुक, तत्पर एवं सहमत है। प्रार्थी रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमि की माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित रास्ते में आयी कृषि भूमि की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा जो शुल्क निर्धारित किया गया है उसी अनुसार प्रार्थी, अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 38 को उनके हिस्से अनुसार राशि अदा करने के लिए तैयार व तत्पर एवं सहमत है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 38 द्वारा माननीय न्यायालय के पारित निर्णय अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने में असमर्थता प्रकट करने पर प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राजकोष में जमा कराने के लिए तैयार एवं तत्पर है। अप्रार्थी संख्या 39 भूमिधारी होने के कारण एवं माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की पालना करने के लिए सक्षम होने के कारण उन्हें अप्रार्थी संख्या 39 को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 40 व 41 बैंक के यहां रहन दर्ज होने से अप्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। अतः श्रीमान से प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 3 में वर्णित रास्ता एवं प्रार्थना पत्र संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित रास्ते को 15 फीट चौड़ा रास्ता घोषित कर राजस्व रिकार्ड में तरमीम कायम किये जाने के आदेश प्रदान करावे एवं उक्त रास्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि तक पहुंच के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1092/122, अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 3 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 117, अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 28 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 115, अप्रार्थीगण संख्या 29 लगायत 37 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 114, 113, 112 एवं अप्रार्थी संख्या 38 की भूमि खसरा संख्या 1167/1146 में से होकर रिकोर्डेड रास्ता खसरा संख्या 1145/89 तक कायम किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.2024 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 से 37 की ओर से वकील श्री गणेश प्रजापति उपस्थित हुये किन्तु उनके द्वारा दिनांक 12.06.2025 तक भी जवाब पेश नही करने के कारण दिनांक 12.06.2025 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

3. दिनांक 02.05.2025 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि प्रार्थीगणों की आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है, प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आवागमन के लिये खसरा संख्या 1092/122 कुल रकबा 0.8090 हेक्ट. में से 0.0030 हेक्ट., 117 कुल रकबा 3.8832 हेक्ट. में से 0.1000 हेक्ट, 115 कुल रकबा 3.2845 हेक्ट. में से 0.0650 हेक्ट, 114 कुल रकबा 0.8737 हेक्ट. में से 0.400 हेक्ट, 112 कुल रकबा 0.2589 हेक्ट. में से 0.300 हेक्ट, 1167/1146 कुल रकबा 35.7238 हेक्ट. में से 0.0040 हेक्ट, 113 कुल रकबा 0.6634 हेक्ट. में से 0.0850 हेक्ट में से रास्ता दिया जा सकता है जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.3270 हैक्टेयर है तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार दुगुनी निर्वापित राशि 760734/– अक्षर सात लाख साठ हजार सात सो चौंतीस रूपये मात्र बनती है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई भी निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है।

4. दिनांक 12.06.2025 को वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थी की ग्राम टिकावडा स्थित

(अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

भूमि खसरा संख्या 123 आवागमन हेतु कोई अन्य निकटतम अथवा वैकल्पिक मार्ग नहीं है तथा प्रार्थीगणों को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है, तहसीलदार किशनगढ द्वारा पेश रिपोर्ट में अनुशंषा की गई है कि प्रार्थीगणों की आराजी खसरा संख्या 123 में आवागमन हेतु केवल खसरा संख्या 1167/1146, 1092/122, 117, 115, 114, 112,, 113 में से ही रास्ता है, जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.3270 हैक्टेयर है तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार दुगुनी निर्वापित राशि 760734/– अक्षरे सात लाख साठ हजार सात सौ चौंतीस रूपये मात्र, बनती है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई भी निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। हमारे द्वारा तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया, तहसीलदार किशनगढ द्वारा रिपोर्ट में खसरा संख्या 1167/1146, 1092/122, 117, 115, 114, 112, 113 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है किन्तु खसरा संख्या 1167/1146 किस्म चारागाह है जो कि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, अतः खसरा संख्या 1167/1146 में से प्रस्तावित रकबे को पृथक किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ को शेष खसरा संख्या 1092/122, 117, 115, 114, 112, 113 में से ही रास्ता तरमीम करने के आदेश दिये जातें हैं। जिससे प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु मार्ग उपलब्ध हो जायेगा। तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

## आदेश

अतः उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1092/122, 117, 115, 114, 112, 113 में प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.3230 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी0एल0सी0 दर 1163200/– रू0 प्रति हैक्टैयर के अनुसार निर्वापित राशि की दोगुणा राशि 7,51,428/– अक्षरे सात लाख इक्यावन हजार चार सौ अठ्ठाइस रूपये मात्र, होती है जो प्रार्थी द्वारा, राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.3270 हैक्टैयर भूमि का मुआवजा राशि 7,51,428/– अक्षरे सात लाख इक्यावन हजार चार सौ अठ्ठाइस रूपये मात्र, रूपये तहसीलदार किशनगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक 2025/2584 दिनांक 25.04. 2025 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार खसरा संख्या 1167/1146 को छोडते हुये शेष खसरान में से रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.3230 हैक्टेयर भूमि की किस्म गै. मु. रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को सबंधित खातेदारान को उनके राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से एवं अधिग्रहित भूमि के अनुपात के आधार पर नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)